Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 12 | DECEMBER 2024

# YASHWANT KUMAR SHRIMALI
# आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास (1857–1986 ई.)

**यशवन्त कुमार श्रीमाली** [1]

[1] **एम. फिल. नेट इतिहास, सहायक आचार्य इतिहास (VSY), राजकीय महाविद्यालय पीसांगन (अजमेर) राजस्थान.**

## ABSTRACT:

भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध एवं विविध रहा है। किंतु 1857 ई. के पश्चात आधुनिक शिक्षा प्रणाली के रूप में एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा लागू नीतियों का विशेष प्रभाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) के बाद भारतीय सरकार ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख साधन माना और क्रमशः कई महत्वपूर्ण शिक्षा नीतियाँ बनाई। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विकास यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव रही, जिसने शिक्षा के उद्देश्यों, स्वरूप एवं पहुँच में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया। यह शोध पत्र 1857 से 1986 तक की इस यात्रा को ऐतिहासिक, सामाजिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करता है भारत में शिक्षा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और बहुआयामी रहा है। प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप धार्मिक और संप्रदायिक संस्थाओं तक सीमित हो गया, किंतु इसके मूल स्वर को समाप्त नहीं किया जा सका। आधुनिक भारत में शिक्षा का नया चरण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव में प्रारंभ हुआ। विशेष रूप से 1857 ई. के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक युगांतरकारी परिवर्तन हुए, जिनमें औपनिवेशिक नीतियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय समाज में अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य मूल्यों का प्रसार कर एक "क्लर्क वर्ग" तैयार करना था जो शासन प्रशासन में सहायक हो सके। वुड का डिस्पैच (1854) और 1857 के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालयों ने भारत में उच्च शिक्षा की एक औपचारिक नींव रखी। इसके पश्चात हंटर आयोग (1882), सैडलर आयोग (1917), कर्ज़न की नीतियाँ तथा गांधीजी की बुनियादी शिक्षा योजना जैसी पहलियाँ शिक्षा के विविध आयामों को उद्घाटित करती हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख आधार माना। शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 45 एवं 21(A) के माध्यम से प्राथमिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इसके पश्चात कोठारी आयोग (1964-66) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने शिक्षा के उद्देश्यों, मानकों और दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभाई। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ रूप प्रदान किया तथा शिक्षा को सर्वसुलभ, समतामूलक और रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया। इस प्रकार 1857 से 1986 ई. तक का कालखंड भारत की शिक्षा प्रणाली के क्रमिक विकास, परिवर्तन और पुनर्गठन का साक्षी रहा है। इस शोध पत्र में इसी ऐतिहासिक यात्रा का विश्लेषण किया गया है, जिसमें नीति निर्धारण, सामाजिक प्रभाव, चुनौतियाँ तथा शैक्षिक संरचनाओं का गहन अध्ययन किया गया है।

## KEYWORDS:

**वुड का डिस्पैच (1854), हंटर आयोग (1882), सैडलर आयोग (1917), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ।**

| PAPER ACCEPTED DATE: | PAPER PUBLISHED DATE: |
|---|---|
| 25th December 2024 | 30th December 2024 |

**विषय वस्तु**

### वुड का डिस्पैच (1854) और औपनिवेशिक शिक्षा की नींव

वुड का डिस्पैच ब्रिटिश संसद द्वारा 1854 में भारत में शिक्षा सुधार हेतु प्रस्तुत एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसे "भारत में शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार भारत के लिए एक संगठित शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके मुख्य बिंदु थे:

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना।

अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना, किंतु प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को मान्यता।

सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करना (Grant-in-Aid प्रणाली)।

महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी नीति का परिणाम रही।

### प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) और शिक्षा पर प्रभाव

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर अपना नियंत्रण और अधिक मजबूत किया। इस समय शिक्षा को दोहरे उद्देश्य से देखा गया:

एक ओर, अंग्रेजों को एक ऐसा शिक्षित वर्ग चाहिए था जो प्रशासन में काम आ सके — यानी एक "क्लर्क वर्ग"।

दूसरी ओर, विद्रोह में शिक्षित भारतीयों की भूमिका ने ब्रिटिश सरकार को शिक्षा के प्रसार को नियंत्रित करने पर विवश किया।परिणामस्वरूप, शिक्षा का प्रसार सीमित हुआ और इसका केंद्र अंग्रेजी माध्यम, शहरी क्षेत्र और उच्च जातियाँ बन गईं। शिक्षा का उद्देश्य शासन प्रशासन में सहयोग देना था, न कि भारत के नागरिकों को सशक्त बनाना।

### हंटर आयोग (1882): प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन

लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य वुड के डिस्पैच की सिफारिशों की प्रगति की समीक्षा करना था। इसके प्रमुख सुझाव थे:

प्राथमिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और जिला परिषदों) को सौंपना।

प्राथमिक शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष और निशुल्क बनाने की सिफारिश।

स्त्री शिक्षा, मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर बल।

निजी संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करना।

हंटर आयोग ने शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, जनोन्मुख और सुलभ बनाने की दिशा में पहल की।

### लार्ड कर्ज़न और विश्वविद्यालय सुधार (1904)

लॉर्ड कर्ज़न ने 1904 में 'विश्वविद्यालय अधिनियम' लागू किया जिससे विश्वविद्यालयों पर

सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। उसके प्रयासों में शामिल थे:

विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक संरचना में सुधार एवं कठोर नियंत्रण।

विश्वविद्यालय अनुदान के लिए मानक तय करना।

पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सहायता।

निजी संस्थानों की अनदेखी और सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता।

हालाँकि कर्ज़न का उद्देश्य गुणवत्ता सुधार था, लेकिन इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आघात हुआ और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति दी।

**सैडलर आयोग (1917–1919): उच्च शिक्षा का पुनर्गठन**

सैडलर आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जाँच के लिए हुई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें समस्त भारत के लिए प्रभावी सिद्ध हुईं। मुख्य बिंदु:

इंटरमीडिएट कॉलेज को विश्वविद्यालय से अलग करना ताकि विश्वविद्यालय अनुसंधान और उच्च शिक्षा पर केंद्रित रह सकें।

स्नातक पाठ्यक्रम को दो से बढ़ाकर तीन वर्ष का किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा को बढ़ावा।

विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और पाठ्यक्रम सुधार की अनुशंसा।

इस आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा को अधिक संगठित और व्यावहारिक दिशा देने का कार्य किया।

**गांधीजी की बुनियादी शिक्षा योजना (नई तालीम - 1937)**

1937 में गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) की अवधारणा प्रस्तुत की। यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की सोच से प्रेरित थी। इसकी विशेषताएँ:

शिक्षा को किसी उत्पादक कार्य (जैसे कताई, बुनाई, खेती आदि) से जोड़ना।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।

शारीरिक श्रम, नैतिक मूल्यों और स्वावलंबन पर बल।

केवल साक्षरता नहीं, बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास को केंद्र में रखना।

हालांकि यह योजना व्यापक रूप से लागू नहीं हो सकी, परंतु भारतीय शिक्षा में व्यावहारिकता और स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिला।

**स्वतंत्र भारत और शिक्षा का पुनर्निर्माण (1947–1964)**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव माना। इस दौर की प्रमुख पहलें थीं:

संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना (1956)।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53): व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, नैतिक शिक्षा का समावेश।

तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए IIT, AIIMS, IIM जैसी संस्थाओं की स्थापना।

यह दौर भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्गठित करने का समय था

**कोठारी आयोग (1964–66): शिक्षा का राष्ट्रीय मूल्यांकन**

कोठारी आयोग भारत के शिक्षा इतिहास में सबसे प्रभावशाली आयोग रहा। इसके प्रमुख बिंदु थे:

शिक्षा को सामाजिक समानता और आर्थिक विकास का उपकरण बनाना।

"समान स्कूल प्रणाली" का सुझाव, जिससे जाति, वर्ग या लिंग के भेदभाव को दूर किया जा सके।

शिक्षा बजट को GDP का 6% तक करने की सिफारिश।

त्रि-भाषा सूत्र (हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा) की संकल्पना।

व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा में मूल्यबोध और विज्ञान पर बल।

कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): शिक्षा को मानव संसाधन विकास से जोड़ना**

यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशी, गुणात्मक और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर थी। इसकी प्रमुख बातें:

महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग और पिछड़े वर्गों को शिक्षा में विशेष अवसर।

बालिका शिक्षा, वयस्क शिक्षा और निरंतर शिक्षा पर विशेष बल।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, और दूरस्थ शिक्षा (इग्नू जैसी संस्थाओं) की शुरुआत।

शिक्षा को "मानव संसाधन विकास" का आधार मानना, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।

शिक्षक की भूमिका को पुनर्परिभाषित करते हुए प्रशिक्षण और योग्यता पर बल।

**निष्कर्ष**

भारत में शिक्षा का इतिहास जितना प्राचीन और गौरवशाली रहा है, उतना ही आधुनिक काल में यह संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक भी रहा है। 1857 ई. से 1986 ई. तक का कालखंड भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण रहा है। इस अवधि में शिक्षा केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता या औपनिवेशिक हितों की पूर्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरूकता और विकास का सशक्त उपकरण बनकर उभरी। ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभिक शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना था, जो अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार हो और प्रशासनिक कार्यों में सहायक बने। वुड का डिस्पैच, हंटर आयोग, कर्ज़न की नीतियाँ और सैडलर आयोग जैसी पहलियों ने शिक्षा को सीमित दृष्टिकोण से देखा, जहां मूल उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को सुचारू रखना था, न कि भारतीय समाज को आत्मनिर्भर और ज्ञानसम्पन्न बनाना। किन्तु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा का स्वरूप बदला। राष्ट्रवादी आंदोलनों, गांधीजी की बुनियादी शिक्षा अवधारणा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवनिर्माण की प्रक्रिया ने शिक्षा को सामाजिक समता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आर्थिक प्रगति का माध्यम बना दिया। संविधान द्वारा अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा आयोगों की नियुक्तियाँ, और विश्वविद्यालयों की स्थापना इस परिवर्तन का संकेत थीं।

1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को वैज्ञानिक सोच, राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया। इसके पश्चात 1986 की नई शिक्षा नीति एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई, जिसमें शिक्षा को मानव संसाधन विकास से जोड़कर देखा गया। इसमें सभी वर्गों को समान अवसर देने, तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा, वयस्क शिक्षा, एवं दूरस्थ शिक्षा की अवधारणाओं को शामिल किया गया। इस समग्र कालखंड में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा न केवल व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास का साधन है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, और आर्थिक उन्नति की कुंजी भी है। 1857 से 1986 तक की यात्रा शिक्षा को औपनिवेशिक बंधनों से निकाल कर भारतीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने की यात्रा थी। अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली ने इस समयावधि में विकास के अनेक चरणों को पार करते हुए एक ऐसी नींव रखी, जिस पर आगे की शैक्षिक योजनाएँ और नीतियाँ आधारित हुईं। यह कालखंड शिक्षा के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पुनर्रचना का प्रतिबिंब है, जिसने भारत को एक शिक्षित, जागरूक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभरने में योगदान दिया।

## REFERENCES

1. बाली, डी. आर. (1990)। भारतीय शिक्षा का इतिहास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

2. शर्मा, रामनाथ (2004)। भारतीय शिक्षा का विकास, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।

3. भारतीय संविधान (1950), अनुच्छेद 45 और 21(A)।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968, 1986)। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

5. वर्मा, एस.पी. (2005)। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

6. रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन (1964-66), कोठारी आयोग।